


08/07/22 -

पत्रावली कागज के साथ कुछ विधायिका  
 अनुपस्थित। विधायिका को कोर्ट  
 समय के लिए कार लीन-लीन कागज  
 दिखाई गयी वापस कागज दिखाने  
 के अनुपस्थित रहे के विधायिका  
 के विरुद्ध एक तरफ कार्यवाही की  
 जाती है कभी विधायिका के कदम  
 सुनी गयी अथवा गलत के लिखान  
 जाकर सुने न्यायालय सुनान गला  
 गिरे का दालनार्थ लक्ष्य जारी है।  
 दालन प्राप्त होने पर शीघ्र पत्रावली  
 की कति पत्रावली विरुद्ध सुनाए जाकर  
 शीघ्र सफल है।

  
 उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानों



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

करण संख्या: 01/2021

प्रार्थीगण :-

1. किशोरकुमार पुत्र नारायणदास
  2. पवनकुमार पुत्र नारायणदास
  3. दिलीपकुमार पुत्र नारायणदास
  4. दिनेशकुमार पुत्र परसुमल
  5. प्रदीपकुमार पुत्र पुरसुमल
- कौम लोहणा निवासी बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :-

1. पूरा पुत्र पाबूदान जाति कुम्हार निवासी बेरीगांव तह0 गुडामालानी
2. रूपादेवी पत्नी बाबूलाल जाति विश्‍नोई निवासी मेधावा तहसील सांचोर
3. खेतु पत्नी ताजा जाति कुम्हार निवासी बेरी गांव तहसील गुडामालानी
4. ठाकराराम पुत्र धूडाराम
5. भूराराम पुत्र धूडाराम जाति विश्‍नोई निवासी बेरीगांव तह0 गुडामालानी
6. महेशकुमार पुत्र गोरधनराम
7. प्रेमप्रकाश पुत्र गोरधनराम जाति विश्‍नोई निवासी माणकी तहसील धोरीमना
8. इन्द्रा पुत्र धोकला
9. भीया पुत्र धोकला
10. सुरता पुत्र धोकला
11. भूरा पुत्र धोकला
12. लच्छु पुत्र धोकला
13. माडू पत्नी धोकला
14. तोगा पुत्र कुम्भा
15. गुमना पुत्र कुम्भा
16. ओमा पुत्र कुम्भा
17. जगु पुत्र कुम्भा
18. नाथी पत्नी कुम्भा
19. बेहना पुत्र नवा
20. कुम्पा पुत्र नवा
21. खेमा पुत्र रामा
22. मका पुत्र रामा
23. चेना पुत्र रामा
24. देवा पुत्र रामा
25. हडमान पुत्र रामा
26. चन्दा पुत्र रामा
27. सिमरथा पुत्र रामा
28. भोमा पुत्र रामा
29. जीयो पत्नी रामा जातियान कुम्हार निवासी बेरीगांव तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर
30. लादूराम पुत्र सरदाराराम जाति विश्‍नोई निवासी करतरला तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर
31. तहसीलदार गुडामालानी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

--: आदेश ::--

दिनांक :- 08/07/22

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु,नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गद्दी का विप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरुद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।